



## अपशषिट प्रबंधन पर CPCB के नरिदेश

### चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नरितरण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) ने अमेज़न, फ्लपिकार्ट और पतंजलि जैसी 52 कंपनरियों को उनके द्वारा फैलाए गए अपशषिटों के उचति प्रबंधन हेतु नरिदेश दधि हैं ।

### प्रमुख बदि:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नरिधारति प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नरिम, 2016 (2018 में संशोधति) के अनुसार, पैकेजि और उत्पादन के दौरान प्लास्टिक अपशषिट के नरिपटान की ज़मिमेदारी कंपनरियों की होगी ।
- नरिषिपादन योग्य अपशषिट के प्रबंधन की ज़मिमेदारी को वसितारति नरिमाता ज़मिमेदारी (Extended Producers Responsibility-EPR) कहते हैं । EPR हेतु कंपनी कसिी मध्यस्थ कंपनी का भी प्रयोग कर सकती है ।
- अपशषिट प्रबंधन के लधि स्थानीय नरिकायों, ग्राम पंचायतों और खुदरा वकिरेताओं को भी EPR के दायरे में रखा गया है ।
- CPCB के अनुसार, जनि 52 कंपनरियों को अपशषिट प्रबंधन के संबंध में नरिदेश दधि गए हैं, उन्होंने अपशषिट के नरिपटान से संबंधति कसिी भी योजना का वरिण मंत्रालय को नरिी दधि है ।
- नए नरिदेशों का पालन न करने की स्थति में इन कंपनरियों पर पर्यावरण संरक्षण अधनरियम के तहत जुरमाना लगाया जा सकता है या उन्हें कारावास की सज़ा हो सकती है ।

### अपशषिट प्रबंधन की स्थति

- वभिन्न कानूनों के बावजूद भी भारत में अपशषिटों के नरिपटान को लेकर बहुत कम प्रगति देखी गई है ।
- केंद्रीय प्रदूषण नरितरण बोर्ड (CPCB) द्वारा वरष 2015 में जारी अनुमानों के अनुसार, भारतीय शहरों में प्रतदिनि लगभग 15,000 टन प्लास्टिक अपशषिट का उत्पादन होता है और इनमें से लगभग 70 प्रतशित प्लास्टिक अपशषिट के रूप में ही समाप्त हो जाता है ।
- भारत में लगभग 40 प्रतशित प्लास्टिक अपशषिट को न तो एकत्र कधि जाता है और न ही उनका पुनर्रचकरण हो पाता है । यही अपशषिट अंततः भूमि और जल को प्रदूषति करता है ।
- प्लास्टिक अपशषिट का सर्वाधिक उत्पादन पैकेजि के दौरान होता है ।
- [राष्ट्रीय हरति नयायधिकरण](#) (National Green Tribunal-NGT) के अनुसार, 30 अप्रैल 2019 तक 25 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों ने प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नरिम (Plastic Waste Management Rules) 2016 के नरिमों का पालन नरिी कधि है ।

# केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

[अपशिष्ट प्रबंधन एवं नवीन विधिक प्रावधान](#)

[हानिकारक और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 संशोधन](#)

[संसाधन क्षमता पर रणनीति](#)

**स्रोत: द द्रिष्टि**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cpcb-pulls-up-52-firms-over-handling-of-waste>

